UPSR010000042007

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी-सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D- UP-1753

विशेष गैंगस्टर वाद संख्या-25/2007

उत्तर प्रदेश राज्य -------अभियोगी/वादी।

बनाम

1-राम नरायन जायसवाल पुत्र प्रभुदयाल **(मृत्यु के कारण दिनांक-16-07-2022 को वाद की कार्यवाही उपशमित)**

2- शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्र राम नरायन जायसवाल

3- प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू पुत्र राम नरायन जायसवाल

निवासीगण कस्बा व थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती।

---------विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या-147/2007

धारा-308/34, 506 भा०दं०सं० व

धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज

विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम

थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती।

निर्णय

1- प्रस्तुत विशेष गैंगस्टर वाद थाना-गिलौला की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श-क-4 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-147/2018 व धारा-323,327,506,308 भा०दं०सं० व धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है। **अभियुक्त राम नरायन जायसवाल की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी जिस कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक-16-07-2022 को उपशमित की जा चुकी है।**

2- संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा आकाश टण्डन पुत्र प्रदीप कुमार टण्डन ने थानाध्यक्ष गिलौला को लिखित तहरीर प्रदर्श-क-1 दिनांक-08-03-2007 को इस आशय से दी कि दिनांक-08-03-2007 को सायकाल 7:00 बजे खुटेहना चौराहा स्थित अपनी दुकान के किरायेदार से बात कर रहा था कि

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.08.05 16:51:32 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court
Shravasti

इतने में रामनरायन पुत्र प्रभुदयाल व प्रेम कुमार उर्फ पुत्तु व शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्रगण रामनरायन अपनी गाड़ी यू०पी० 70/6800 से आये और उसको रामराज की दुकान के पास गिराकर लात, मुक्का, थप्पड़ व हाकी से काफी गम्भीर रूप से मारा पीटा। रामनरायन ने कहा आज उसे जान से खत्म कर दो। अभियुक्तगण के मारने से उसको सिर पर, मुंह पर व सीने पर गम्भीर चोटें लगी हैं। गम्भीर चोटों से प्रार्थी बेहोश हो गया। इसी बीच बाजार में तमाम लोग आ गये। जिन्होंने प्रार्थी की जान बचायी। घटना को तमाम लोगों ने देखा है। मौके पर गवाह अपनी गवाही देगें। उपरोक्त घटना से प्रार्थी व उसका परिवार काफी भयभीत है। अभियुक्तगण सरकश व गिरोह बन्द लोग हैं, जो प्रार्थी के परिवार से काफी रंजिश रखते हैं। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ जाँच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– तहरीर प्रदर्श–क–1 के आधार पर थाना–गिलौला में अभियुक्तगण राम नरायन, प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर के विरूद्ध चिक एफ०आई०आर० अन्तर्गत धारा–323,308,506 भा०दं०सं० पंजीकृत हुयी तथा मुकदमें का खुलासा कायमी जी०डी० में किया गया।

4– मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए वादी मुकदमा एस०एच०ओ० व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा अभियुक्तगण के बयान अंकित किये। विवेचक ने चोटहिल का मेडिकल कराया गया। विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट की बढ़ोत्तरी की। विवेचक ने दौरान विवेचना गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों का अवलोकन करते हुए उनकी नकल केस डायरी में की। अभियोजन स्वीकृत के पश्चात विवेचना समाप्त करते हुए विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण राम नरायन, प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर के विरूद्ध धारा–323,327,506,308 भा०दं०सं० व 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 आरोप पत्र प्रदर्श–क–4 न्यायालय में प्रेषित किया।

5– आरोप पत्र प्राप्त होने पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, फैजाबाद द्वारा दिनांक–01–09–2007 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–15–10–2008 को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट, गोण्डा द्वारा अभियुक्तगण राम नरायन, प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर के विरूद्ध धारा–30/34,506 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने

आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की गयी।

6– राज्य की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्र०सं	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू०–1	आकाश टण्डन	वादी मुकदमा
2–	पी०डब्लू०–2	विकास टण्डन	तथ्य के गवाह
3–	पी०डब्लू०–3	विनय कुमार टण्डन	तथ्य के गवाह
4–	पी०डब्लू०–4	अली हुसैन	तथ्य के गवाह
5–	पी०डब्लू०–5	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक ओमकार नाथ	चिक एफ०आई०आर० लेखक
6–	पी०डब्लू०–6	विश्वनाथ	तथ्य के गवाह
7–	पी०डब्लू०–7	डॉ० आर०आर० विश्वास	चिकित्सीय साक्षी
8–	पी०डब्लू०–8	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रघुराज मिश्र	विवेचक (मु०अ०सं०–328/2005)
9–	पी०डब्लू० 9	सेवानिवृत्त निरीक्षक राम नरायण रवि	विवेचक

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ने निम्नलिखित प्रदर्श को साबित किया हैः–

क्र०सं	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
1–	प्रदर्श–क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1
2–	प्रदर्श–क–2	चिक एफ०आई०आर	पी०डब्लू०–5
3–	प्रदर्श–क–3	मेडिकल रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
4–	प्रदर्श–क–4	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–8
5–	प्रदर्श–क–4	घटनास्थल नक्शा–नजरी	पी०डब्लू०–9
6–	प्रदर्श–क–5	गैंगचार्ट	पी०डब्लू०–9

8– तत्पश्चात अभियोजन की ओर से दिनांक 28–06–2024 को आदेश पत्रक पर "अभियोजन साक्ष्य समाप्त है" का अंकन किया गया। जिसके फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

09– दिनांक–29–06–2026 को अभियुक्तगण शेर बहादुर व प्रेम कुमार का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित हुआ। अभियुक्तगण ने अभियोजन गवाहान द्वारा झूठा व गलत बयान देने का कथन किया तथा अभियोजन प्रपत्र को गलत तरीके से साबित करना बताया। अभियुक्तगण ने मुकदमा जमीनी रंजिश को लेकर झूठी घटना दिखाकर लिखाया जाना बताया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

10– अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु अभियुक्तगण की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक–21–07–2026 को अभियुक्तगण के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

11– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

12– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा आकाश टण्डन पुत्र प्रवीण कुमार टण्डन** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक–08–03–2007 की है। शाम सात बजे के आस पास का समय था। मेरी दुकान खुटेहना चौराहे पर है। मैं उस समय किरायेदार से बातचीत कर रहा था। राम नरायन पुत्र राम दयाल, प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू, शेर बहादुर उर्फ शेर अपनी मारूति कार 800 यू०पी०–70/6800 से आये। रामराज की दुकान के पास आये और मूका थप्पड़, हाकी व लात से मुझे मारने लगे। हाकी प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू के पास थी। राम नरायन ने कहा कि साले मारदरचोद को जान से मार दो। मुझे सीने पर, मुंह पर, सिर पर चोटें आयी। मौके पर बाजार के लोग व किरायेदार आ गये और उसको बचाया। ये लोग गिलौला में ग्रुप बनाकर चलते हैं और गुन्डागर्दी किया करते हैं। जिन लोगों ने घटना देखा था वे गवाही देंगे। गवाहों के नाम मुझे याद नहीं है। चोट लगने से मैं बेहोश हो गया था। बाजार वालों ने मेरे घर खबर दी तब मेरे घर वाले आये और मुझे घर ले गये। घर से फिर थाना गिलौला पर ले गये। घटना की तहरीर मैंने एक आदमी से बोलकर लिखवाया था। फिर तहरीर को पढ़कर देखा था तब उसी तहरीर के आधार पर थाने में रिपोर्ट लिखवायी थी। तहरीर शामिल मिसिल पेपर संख्या ए–4/2 गवाह को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो उसने कहा कि उसी पर मुकदमा लिखा गया। था। उसमें लिखी बाते सही हैं। उस पर मेरा हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श–क–1 डाला गया। तीनो हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने कहा कि ये ही लोग थे जिन्होंने घटना कारित किया था। पहले मैं सरकारी अस्पताल गिलौला में गया था। चोटों का डॉक्टरी मोआयना हुआ था। फिर मुझे बहराइच अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां मैं चार दिन भर्ती रहा जहां मेरा इलाज हुआ था। मुल्जिमान से बाबा के समय से ही जमीन के बावत विवाद चल रहा था। पुलिस वालों ने मुझसे घटना के बावत पूछताछ किया था। मुल्जिमानों का गिरोह है, इनका आतंक है, लोग इनसे डरते हैं।"

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 विकास टण्डन** पुत्र निर्मल टण्डन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "हाजिर अदालत अभियुक्तगण राम नरायन जायसवाल, प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू, शेर बहादुर को मैं जानता हूँ। प्रेम कुमार व शेर बहादुर, राम नरायन के लड़के हैं। चोटहिल आकाश टण्डन को भी मैं जानता हूँ। वह मेरे चचेरे भाई हैं। घटना 08–03–2007 की है। घटना के समय मैं घर पर था। घटना खुटेहना तिराहा गिलौला बाजार की है। रामराज की पान की दुकान के सामने यह घटना घटी थी। शाम के सात बजे का समय था। बाजार से कुछ लोग आये और मुझे बताये कि आकाश के साथ घटना हो रही है और बताये कि तुम्हारे भाई

आकाश टण्डन को राम नरायन व उनके दो लड़के प्रेम कुमार व शेर बहादुर मार पीट रहे हैं। तो मैं भागकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि प्रेम कुमार हाकी से, राम नरायन व शेर बहादुर लात मूका से मेरे भाई को मार रहे थे और आकाश टण्डन इन लोगों की मार से मौके पर ही बेहोश हो गया था। उसके सीने में चोट आयी थी। उसके सर व गाल पर चोट आयी थी। इस घटना को मेरे अलावा और भी बाजार के तमाम लोगों ने देखा था। आकाश को बेहोश की हालत में ही उठाकर पहले अपने घर लाये। फिर उसको थोड़ा पानी पिलाया फिर उसे होश आने पर थाना गिलौला ले गये तथा वहां पर आकाश ने रिपोर्ट लिखायी। फिर पुलिस ने प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र गिलौला उपचार हेतु भेजा। फिर वहां से जनपद बहराइच के लिए रेफर कर दिया। इस घटना के बावत विवेचना ने मेरा बयान लिया था।"

14– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 विनय कुमार टण्डन** पुत्र शिव शंकर टण्डन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "आकाश टण्डन मेरा भतीजा है, खुटेहना चौराहे के पास मेरी करीब 12–13 दुकाने हैं। जो मैंने किराये पर उठाया है। आठ मार्च 2007 को शाम करीब 7:00 बजे मेरा भतीजा किराया वसूलने के लिए खुटेहना चौराहा गया था। मैं भी किराया वसूलने के लिए वहीं पर गया था। तभी कुछ लोगों ने बताया कि आप के भतीजे को राम नरायन, पुत्तु, शेर बहादुर मिलकर बुरी तरह से मार रहे हैं। यह सुनकर मैं रामराज की दुकान के पास पहुँचा तो देखा कि उपरोक्त तीनों लोग मेरे भतीजे को गाली देते हुए कह रहे थे कि तुम्हें जान से मार देंगे। इतने में मैंने तथा कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। पुत्तु के हाथ में हाकी था। इन लोगों के मारने से आकाश के सिर व चेहरे पर चोट आयी थी और मौके पर वह बेहोश हो गया था। उपरोक्त तीनों मुल्जिमान शातिर किस्म के अपराधी है। इन लोगों ने सन् 2002 में मेरे साथ मारपीट की थी व मेरे अमरूद के बाग से अमरूद की चोरी कर रहे थे। मना करने पर मुझे मारा पीटा था। इन लोगों ने मेरे भाई प्रवीण कुमार को भी सन् 1998 में मारा पीटा था तथा जान लेवा हमला किया था। बाद में इन्हीं चोटों से मेरे भाई प्रवीण कुमार की मृत्यु हो गयी थी। इसके अलावा इन लोगों के विरूद्ध कई मुकदमें पंजीकृत है। इनके इन्हीं कार्यों से हम लोग तथा बाजार के लोग काफी डरे रहते है। यह लोग कभी भी कोई घटना कर सकते हैं। दरोगा जी ने इस घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान करीब 03 महीने बाद लिया था।

15– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–4 अली हुसैन** पुत्र मनीवर अली ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं प्रमुख गौरी शंकर टण्डन को जानता हूँ। विकास और आकाश को नहीं जानता हूँ। ये प्रमुख के घर के हो सकते हैं।

करीब 14 वर्ष पहले इनके साथ घटना हुयी थी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे गवाही में किसने ड़ाल दिया मैं नहीं बता सकता हूँ। राम नरायन जायसवाल को जानता हूँ। बहादुर उर्फ शेर व प्रेम नरायन, राम नरायन के लड़के है। 14–15 साल पहले मेरा राम नरायन आदि से झगड़ा हुआ था। श्रावस्ती ग्रामीण बैंक के सामने इन लोगों ने मुझे गिरा दिया था और मारा पीटा था। इसका मुकदमा मैंने लिखाया था और थाने पर सुलह को गयी थी। उस मुकदमें में मैं अदालत पर भी सुलह के लिये आया था। टण्डन परिवार से राम नरायन का क्या विवाद हुआ था, मुझे नही पता है। इन लोगों ने चुनावी रंजिश में मुझसे मारपीट की थी। घटना में मेरी घड़ी गिर गयी थी लेकिन इन लोगों ने लूटा नहीं था। मुझे जानकारी नहीं है कि राम नरायन पर कितने मुकदमें लिखे हैं। जब मैंने मुकदमा लिखाया था तो पूछताछ हुयी थी। दरोगा जी ने बयान थाने पर लिया था।"

16– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक ओमकार नाथ** पाण्डेय ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "माह मार्च 2007 में मैं बतौर कांसटेबिल मोहर्रिर थाना गिलौला में तैनात था। मेरे द्वारा दिनांक 08–03–2007 को मुकदमा अपराध संख्या 147/2007 अन्तर्गत धारा 323,506,308 भा०दं०सं० वादी श्री आकाश टण्डन की तहरीरी सूचना पर अभियुक्तगण रामनरायण, प्रेमकुमार व शेर बहादुर के विरूद्ध समय 21:10 बजे पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवचेना उपनिरीक्षक श्री रामनरायन रवि ने की थी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट देखकर बताया कि ये मेरे हस्तलेख में है तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया।"

17– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–6 विश्वनाथ** पुत्र राम अभिलाख ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना को लगभग 15 वर्ष हो गये हैं। उस समय मैं बी०डी०सी० था। घटना के पहले मैं अनिल कुमार के होटल में नाश्ता कर रहे थे व आकाश टण्डन किरायेदारों से किराया मांग रहे थे। इनके घर में गौरीशंकर ब्लाक प्रमुख थे। राम नरायान व उनके लड़के से आकाश टण्डन से किराये को लेकर झगड़ा हुआ था। पता चला कि राम नरायन और उनके लड़को ने आकाश टण्डन को मारा पीटा। मैं झगड़े के समय अपने घर चला गया था। हमारा घर वहां से एक किलोमीटर दूर है। सुबह व शाम आना जाना था। बी०डी०सी० होने के नात ब्लाक प्रमुख से जुडे हुये थे। राम नरायन का परिवार झगडालू है। लेकिन मेरे सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। आकाश टण्डन की कई दुकाने किराये पर हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि पुलिस वालों ने कब पूछताछ की थी। जहाँ चाय पी रहे थे वह भी आकाश टण्डन का किराया पर ही था। छोटी मोटी झगड़ा राम नरायन व आकाश टण्डन के बीच होती रहती थी।"

18– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–7 डॉ० आर०आर विश्वास** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक–08–03–2007 को सी०एच०सी० गिलौला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा 11:10 पर चोटहिल आकाश पुत्र प्रवीण कुमार का इलाज किया था। जिसे सी०पी० शेवेन्द्र सिंह थाना गिलौला लेकर आये थे। इसके गाल पर दाहिनी तरफ काला तिल मौजूद था जो कान से 1 सेन्टीमीटर नीचे था। चोटहिल के शरीर पर निम्न तीन चोटें पायी गयी थीं–

चोट नं०–1 बांये गाल पर खरोंच का निशान आकार 2x5cm बांये जबड़े के 4cm सामने की तरफ मौजूद था।

चोट नं०–2 बांयी तरफ ठुडी पर खरोंच के निशान आकार 4x0.5cm जो बांये जबड़े से 1cm नीचे मौजूद था।

चोट नं०–3 घायल ने सीने में दर्द बताया तथा सांस लेने में दिक्कत बतायी।

चोट नं०–1 व 2 साधारण व ताजा थी। चोट नं०–3 को निगरानी में रखते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद हैं। जिस पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। अतः उस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। चोटें कुन्दाल से आना सम्भव थी।"

19– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–8 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रघुराज मिश्रा** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–30–08–2007 को मैं थाना गिलौला में एस०आई० के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी एफ०आई०आर० मुकदमा अपराध संख्या–328/2005 धारा–341, 323, 427, 506, 352, 394 भा०दं०सं० बनाम राम नरायन आदि की विवेचना उसे प्राप्त हुयी थी। जिसमें मेरे द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–352, 323, 427, 504, 506 भा०दं०सं० में प्रेषित किया था। गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमें के विवेचक अरविन्द कुमार दूबे ने मेरा बयान लिया था। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं उनके साथ थाना इकौना, गिलौला, मल्हीपुर में कार्य किया है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित आरोप पत्र सम्बन्धी मुकदमा अपराध संख्या–147/2007 उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। अतः इस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया।"

20– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–9 राम नरायण रवि सेवानिवृत्त इन्सपेक्टर** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–08–03–2007 को मैं थाना गिलौला मैं बतौर एस०एस०आई नियुक्त था। मु०अ०सं०–

147/2007 अन्तर्गत धारा–323,506,308 भा०दं०सं० बनाम रामनरायण जायसवाल, प्रेम कुमार व शेर बहादुर के विरूद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझे सुपुर्द की गई थी। मेरे द्वारा सी०डी० नं०–1 किता करते हुए थाना कार्यालय से चिक एफ०आई०आर, जी० डी० की प्रतियां प्राप्त कर अवलोकन किया तथा वादी मुकदमा आकाश टण्डन का बयान अंकित कर इलाज के लिये रवाना किया था तथा अभियुक्त गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया गया था। सी०डी० नं०–2 दिनांक–13–03–2007 को किता किया गया जिसमे बयान गवाह विकास टण्डन, गवाह अनिल कुमार, गवाह विश्वनाथ का बयान लेकर अंकित किया गया तथा गवाहों की निशानदेही पर घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया व मौके का नक्शा नजरी बनाया गया तथा उसी दिन अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०दं०सं० व उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट की बढोत्तरी की गई। पर्चा नं०–3 दिनांक–15–03–2007 को किता किया गया, जिसमें चोटहिल के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगचार्ट का अनुमोदन जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था का अवलोकन कर सी०डी० में किया गया। नक्शा नजरी कागज सं० ए–9/4 पत्रावली में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। गैंग चार्ट कागज सं० ए–8 पत्रावली में संलग्न है जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शिव मुनि सिह यादव के हस्ताक्षर है, उच्चाधिकारियों द्वारा संस्तुत व अग्रसारित है एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित है, मैं शिव मुनि सिंह यादव के साथ तैनात रहा हूँ, इसलिये उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, तस्दीक करता हूँ इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। सी०डी० दिनांक 26–03–2007 में अभियुक्तगण की तलाश की गई। सी० डी०–5 दिंनांक–27–03–2007 में अभियुक्तगण की तलाश की गई। सी०डी०–6 दिनांक–05–05–2007 को अभियुक्तगण रामनरायण व प्रेम कुमार का रिमांण्ड लिया गया तथा शेर बहादुर की गिरफ्तारी शेष रही, यह पर्चा थानाध्यक्ष द्वारा किता किया गया। सी० डी०–7 दिनांक–18–05–2007 में अभियुक्त शेर बहादुर का आत्म समर्पण अंकित किया गया। सी०डी०–8 दिनांक–05–06–2007 में शेर बहादुर का बयान अंकित किया गया तथा जमानत का उल्लेख किया गया है, इसके बात विवेचना अरविन्द कुमार द्विवेदी द्वारा ग्रहण की गई क्योंकि शिव मुनि सिंह का स्थानान्तरण हो गया था।"

21– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

22– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित हैं। अभियोजन गवाहान के बयान में कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं है। अभियोजन

साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा एक सुसंगठित गैंग है, जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत वर्णित अपराधों को करने का आदी है तथा आये दिन अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए मारपीट एवं हत्या के प्रयास जैसे गम्भीर अपराध कारित करते हैं। इनके आपराधिक कृत्यों से आम जन मानस में भय व आतंक का माहौल व्याप्त है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप पूर्णतः साबित है, अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

23– अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी कहानी गढ़कर अभियुक्तगण बना दिया गया है। अभियुक्तगण का कथन है कि उनका कोई गैंग नहीं है और न ही ऐसे आपराधिक कृत्य उनके द्वारा किये जाते हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी जो पुलिस कर्मी हैं, ने शासन के दबाव में झूठा बयान दिया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयान में घोर विरोधाभाष है। अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है, उन्हें जमीनी रंजिश में झूठा फंसा दिया गया है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

24 अभियुक्तगण पर धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का आरोप लगाया गया है, ऐसे में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

(i) क्या अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है?

(ii) क्या अभियुक्तगण एवं उसकी गैंग के अन्य सदस्यों द्वारा कारित आपराधिक कृत्य भा०द०सं० के अध्याय 16,17 व 22 या धारा 2 (ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध की श्रेणी में आता है?

(iii) क्या अभियुक्तगण एवं उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के आपराधिक कृत्यों से समाज में भय व आतंक की स्थिति व्याप्त है?

(iv) क्या अभियुक्तगण ने स्वयं या गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कोई भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित किया है?

25– यहां यह स्पष्ट कर देना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रेम कुमार व शेर बहादुर का विचारण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 08–03–2007 को समय 21:10 बजे अभियुक्तगण प्रेम कुमार व शेर बहादुर के विरूद्ध

धारा–323, 506, 308 भा०दं०सं० में प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है तथा दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

26– धारा 2 (ख) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में गिरोह से तात्पर्य, ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियाबी (टैम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1986 के अध्याय 16, या अध्याय 17, अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम सं० 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्यापति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं।

जबकि गिरोहबन्द का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रगणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग (Gang) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

(i) समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या,

(ii) अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त किया हो।

27– तहरीर प्रदर्श क–1 में यह अंकित किया गया है कि अभियुक्तगण सरकश व गिरोह बन्द लोग हैं जो वादी के परिवार से काफी रंजिश रखते हैं। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा के बयान में बताया है कि अभियुक्तगण गिलौला में ग्रुफ बनाकर

चलते हैं और गुण्डागर्दी किया करते हैं। पी०डब्लू०–2 विकास टण्डन, पी०डब्लू०–3 विनय कुमार टण्डन, पी०डब्लू०–4 अली हुसैन व पी०डब्लू०–6 विश्वनाथ ने अपने–अपने मुख्य परीक्षा एवं जिरह के बयान में अभियुक्तगण के गैंग होने एवं गैंग के रूप में अपराध करने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है।

28– पी०डब्लू०–9 सेवानिवृत्त निरीक्षक राम नरायण रवि जो प्रस्तुत मामले के विवेचक हैं, ने दौरान विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट की बढ़ोत्तरी करने का बयान दिया है। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि गैंगचार्ट में लिखित सभी मुकदमें में उसने विवेचना नहीं किया है, सिर्फ इसी मुकदमें में विवेचना किया है। उसे यह भी नहीं पता है कि न्यायालय से उन सभी मुकदमों का परिणाम क्या रहा, वह मुल्जिमान के घर गया था। यह लोग कौन सा व्यवसाय करते थे, उसे नहीं पता है। इनका मकान कैसा बना है, यह भी उसे नहीं पता है। गैंगस्टर की कार्यवाही एस०ओ० साहब द्वारा की गयी थी। साक्षी के बयान से अभियुक्तगण द्वारा गैंग रूप में अपराध करते हुए आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना साबित नहीं है।

29– प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा अर्जित आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ का कोई भी साक्ष्य संकलित नहीं किया है और न ही न्यायालय में दौरान साक्ष्य अभियोजन उक्त तथ्य को साबित कर सका है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अर्जित आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। अभियोजन अपने साक्ष्य से यह भी साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण के कृत्य से समाज में भय व डर का माहौल व्याप्त हो गया था। **अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1987 (83) ए०सी०सी० 164** के महत्वपूर्ण मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अवधारित किया है कि कि "अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति मात्र इस कारण से दण्डित किये जाने के लिए दायी नहीं है, क्योंकि वह समूह का सदस्य है। वह अधिनियम की परिधि में तब आता है, जब वह ऐसे गिरोह का चयन करता है, जो अधिनियम के अधीन किसी समाज विरोधी कृत्य में संलिप्त रहते हैं और ऐसे बल का प्रयोग करते हैं ताकि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ अर्जित कर सकें।"

30– उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी स्थानीय बीट कास्टेबल की रिपोर्ट या धारा–107, 116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही का कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण आपराधिक कृत्यों से कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गिरोह

के रूप में अपराध कारित करते हो। किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति होना साबित नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्तगण के गैंग होने के सम्बन्ध में भी कोई बयान नहीं दिया है।

31– उपरोक्त के दृष्टिगत अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अभियुक्तगण का एक गिरोह है और वे एक साथ मिलकर या स्वयं लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से अथवा अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये हिंसा, धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास या प्रपीडन द्वारा ऐसा समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं जो उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2 (ख) की उपधारा–(एक) से (पच्चीस) में उल्लिखित अपराध करते हैं। अभियोजन, अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति को साबित करने में विफल रहा है।

32– तहरीर प्रदर्श–क–1 में अंकित किया गया है कि दिनांक–08–03–2007 को सायकाल 7:00 बजे खुटेहना चौराहा स्थित अपनी दुकान के किरायेदार से बात कर रहा था कि इतने में रामनरायन पुत्र प्रभुदयाल व प्रेम कुमार उर्फ पुत्तु व शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्रगण रामनरायन अपनी गाड़ी यू०पी० 70/6800 से आये और उसको रामराज की दुकान के पास गिराकर लात, मुक्का, थप्पड़ व हाकी से काफी गम्भीर रूप से मारा पीटा। रामनरायन ने कहा आज उसे जान से खत्म कर दो। अभियुक्तगण के मारने से उसको सिर पर, मुंह पर व सीने पर गम्भीर चोटें लगी हैं। गम्भीर चोटों से प्रार्थी बेहोश हो गया। इसी बीच बाजार में तमाम लोग आ गये। जिन्होंने प्रार्थी की जान बचायी। घटना को तमाम लोगों ने देखा है। मौके पर गवाह अपनी गवाही देगें।

33– पी०डब्लू०–1 चोटहिल/वादी मुकदमा ने अपने सशपथ बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक को जब वह खुटेहना चौराहे पर अपनी दुकान पर किरायेदार से बातचीत कर रहा था तब अभियुक्तगण ने मूका थप्पड़, हाकी व लात से मारा और जान से मारने की धमकी दी। उसे सीने पर, मुंह पर व सिर पर चोट आयी थी। **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि वह किरायेदार से बात करने गया था न कि किराया मांगने गया था। वह रामराज से बात कर रहा था। उसने तहरीर में रामराज से बात करने वाली बात लिखायी थी। बाद में कहा कि रामराज से बात करने की बात नहीं लिखायी है किरायेदार से बात करने की बात लिखायी है। रामराज भी किराये दार हैं। जहाँ मारपीट की घटना हुयी थी वहां से उसका घर करीब आधा किलोमीटर दूर है। घटनास्थल से थाना आधा किलोमीटर की दूरी पर है। घर पर उसका कोई दवा इलाज नहीं हुआ था। जब वह घर पर गया था तो बेहोश था। सिर उसका फटा नहीं था

सूज गया था बीच में सूजन थी। हाथ से पकड़कर बताया बांये गाल में चोट लगी थी। सीने पर भी चोट लगी थी। अस्पताल उसे पुलिस की जीप से ले गयी थी। गाल से खून निकला था। उसकी चोटों में सीने का एक्स–रे हुआ था। उसके सीने की हड्डी टूटी नहीं थी। साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियुक्तगण द्वारा उसे मारना पीटना एवं जान से मारने की धमकी देना साबित है।

34– पी०डब्लू०–2 विकास टण्डन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय वह घर से साढ़े सात, पौने आठ बजे घटनास्थल की तरफ चला था। वह मारूती से गया था। वह अकेले नहीं बल्कि उसके साथ विनय टण्डन भी घटनास्थल पर गये थे। जब वह वहां पहुँचा तो मुल्जिमान मार ही रहे थे। बराबर हाकी से मार रहे थे। चोटों से खून नहीं निकल रहा था। सर नहीं फटा था। उनके शरीर के किसी भी अंग से खून नहीं निकल रहा था। उनका कोई अंग टूटा फूटा नहीं था। घटनास्थल से आकाश को अस्पताल नहीं ले गये तुरन्तु किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, सीधे घर ले गये। घर पर पानी डालने पर उसे होश आ गया था। घर पर करीब एक घण्टे तक रूके रहे थे। फिर आकाश को मारूती से थाने ले गये। साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि जब वह मौके पर पहुँचा था तब अभियुक्तगण चोटहिल को मार रहे थे। साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियुक्तगण द्वारा आकाश टण्डन को मारना पीटना एवं जान से मारने की धमकी देना साबित है। साक्षी की जिरह में ऐसा कोई विरोधाभाषी तथ्य नहीं आया है, जिसके आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता हो।

35– पी०डब्लू०–3 विनय कुमार टण्डन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसका भतीजा खुटेहना चौराहे पर किरायेदार से किराया मांगने गया था। तभी कुछ लोगों ने बताया कि आपके भतीजे को अभियुक्तगण मिलकर बुरी तरह से मार रहे हैं। यह सुनकर वह रामराज की दुकान के पास पहुँचा तो देखा कि तीनों लोग उसके भतीजे को गाली देते हुए कह रहे थे कि तुम्हे जान से मार देगे। इन लोगों के मारने से आकाश के सिरव चेहरे पर चोटें आयी थी और वह मौके पर बेहोश हो गया था।

36– पी०डब्लू०–4 अली हुसैन ने घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। पी०डब्लू०–6 विश्वनाथ ने अपने बयान में बताया है कि रामनरायन जायसवाल व उनके लड़कों से आकाश टण्डन से किराये को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। पता चला कि राम नरायन जायसवाल और उनके लड़कों ने आकाश टण्डन को मारा पीटा। रामनरायन का परिवार झगडालू है लेकिन उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। **जिरह** में साक्षी ने कथन किया है कि जिस समय की घटना बतायी गयी है, उस समय वह घर

पर था। उसने कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा, न ही सुना। आकाश टण्डन व राम नरायन के घर में रंजिश चला करती थी। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में तो घटना का समर्थन किया है, परन्तु जिरह के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है।

37– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–7 डॉ० आर०आर विश्वास** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक–08–03–2007 उसके द्वारा 11:10 बजे पर चोटहिल आकाश पुत्र प्रवीण कुमार का इलाज किया था। चोटहिल के शरीर पर निम्न तीन चोटें पायी गयी थीं–

चोट नं०–1 बांये गाल पर खरोंच का निशान आकार 2x5cm बांये जबड़े के 4cm सामने की तरफ मौजूद था।

चोट नं०–2 बांयी तरफ टुडी पर खरोंच के निशान आकार 4x0.5cm जो बांये जबड़े से 1cm नीचे मौजूद था।

चोट नं०–3 घायल ने सीने में दर्द बताया तथा सांस लेने में दिक्कत बतायी।

38– चोट नं०–1 व 2 साधारण व ताजा थी। चोट नं०–3 को निगरानी में रखते हुए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि चोट नं०–1 व 2 साधारण व ताजा थी। यह सभी चोटें 06 घण्टे के अन्दर की थी। चोटों से खून नहीं बह रहा था। चोट नं०–3 के बारे में उसकी कोई राय नहीं हैं, रेफर किया गया था। चोट नं०–3 के सम्बन्ध में पी०डब्लू०–1 स्वयं चोटहिल ने जिरह में कथन किया है कि उसकी चोटों में सीने का एक्स–रे हुआ था। उसके सीने की हड्डी टूटी नहीं थी। चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में प्रदर्श–क–3 के रूप में संलग्न है। मेडिकल रिपोर्ट एवं चिकित्सक साक्षी के बयान के अनुसार चोटहिल का आयी दो चोटें खरोंच एवं चोट नं०–3 दर्द की शिकायत की थी। चिकित्सक साक्षी ने चोटहिल की चोटों को साधारण प्रकृति का बताया है।

39– चोटहिल को जिस प्रकार की चोटें आयी हैं, उनसे धारा–323 भा०दं०सं० का अपराध गठित होता है। धारा–308 भा०दं०सं० का अपराध गठित होना नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की चोटें चोटहिल को कारित की गयी है, उससे चोटहिल की गैर इरादतन हत्या का प्रयास दर्शित नहीं होता है।

40– इस सम्बन्ध में **धारा–222 दं०प्र०सं०** इस प्रकार हैः–"*जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है.*– (1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियाँ हैं, जिनमें से **केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियाँ साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था**।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं, जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।

41– उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आकाश टण्डन को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप साबित नहीं है, बल्कि अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि जब आकाश टण्डन, खुटेहना चौराहे पर किरायेदार से बात कर रहा था तब अभियुक्तगण द्वारा आकाश टण्डन को लात मूक्का, थप्पड व हाकी से मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त मारपीट में चोटहिल को दो चोटे खरोंच एवं एक चोट सीने में दर्द की आयी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–308/34 भा०दं०सं० का आरोप साबित नहीं है बल्कि चोटों के दृष्टिगत अभियुक्तगण पर धारा–323 भा०दं०सं० का आरोप संदेह से परे साबित है।

42– इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के सम्यक परिशीलन से अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर के विरूद्ध धारा–323 व 506 भा०दं०सं० का आरोप अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित एवं सिद्ध करने में सफल रहा है। जबकि अभियोजन पक्ष धारा–308/34 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर को धारा–323, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए धारा–308/34 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाना उचित है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–147/2007, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती के प्रकरण में अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्रगण राम नरायन जायसवाल को अन्तर्गत धारा–323, 506 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया जाता

है।

अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्रगण राम नरायन जायसवाल को उपरोक्त प्रकरण में अन्तर्गत धारा–308/34 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण का व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

दिनांक–05–08–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–05–08–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

लंच बाद

पत्रावली पुनः पेश हुयी। पुकारा गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर जेरे हिरासत अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल उपस्थित है।

उभय पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क दिया है कि अभियुक्तगण गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। अभियुक्तगण की ओर से उसके घर का कोई भी पैरवी करने वाला नहीं है। अभियुक्तगण भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, उसे सुधरने का अवसर देते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है।

राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस तर्क दिया कि अभियुक्तगण पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण भविष्य में पुनः प्रश्नगत प्रकृति की घटना कारित न करे इसलिए दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर धारा–323,506 भा०दं०सं० का अपराध साबित है, जिसमें अधिकतम 07 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत मामला वर्ष 1997 की घटना से सम्बन्धित है जिसमें अभियुक्तगण लगातार न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे हैं। ऐसे मामले में अभियुक्तगण को कारावास की सजा दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है जिससे समाज में सद्भाव भी बना रहे और न्याय का उद्देश्य भी विफल न हो। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

विशेष गैंगस्टर वाद संख्या–25/2007, मुकदमा अपराध संख्या–147/2007, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती के प्रकरण में धारा–323,506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण प्रेम कुमार उर्फ पुत्तू व शेर बहादुर उर्फ शेर पुत्रगण राम नरायन जायसवाल को धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि छः माह तक सदाचार एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रावस्ती के समक्ष बीस–बीस हजार रूपये के दो–दो जमानतीय बंधपत्र व व्यक्तिगत बंधपत्र व अण्डरटेंकिग दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

उक्त बंधपत्र 10 दिवस की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किये जायेगें। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में अभियुक्तगण को पुनः अभिरक्षा में लेकर मात्र दण्ड के प्रश्न पर सुनकर अपराध अन्तर्गत धारा–323,506 भा०दं०सं० में उचित दण्डादेश पारित किया जायेगा।

आदेश की प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रावस्ती को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। जिला प्रोवेशन अधिकारी, श्रावस्ती को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा दाखिल व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू बंधपत्र की छायाप्रति न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिला प्रोवेशन अधिकारी, श्रावस्ती को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा 10 दिन के अन्दर यदि व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू बंधपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो न्यायालय को अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करें।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निर्णय की तुरन्त प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–05–08–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

उपरोक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–05–08–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।